

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(574. साउथ सिविल लाईन्स)

// आदेश //

क्रमांक फा.नं. 43-21/स्था०/राविसेप्रा/ १५७/2022 जबलपुर दिनांक ८/०४/२०२२

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-३-१२/२०१३/१/०३, दिनांक २९ सितम्बर २०१४ के अनुसार एवं अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री शंकर लाल सौधिया पिता स्व. श्री परमेश कुमार सौधिया निवासी—महदेवा रोड धवारी गली नं.-०१ वार्ड नं.-३१ तहसील—रघुराजनगर, जिला सतना म.प्र. को भूत्य के पद पर वेतनमान १५५००—४९००० में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीक्षा पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार गृहण करने की दिनांक से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना में पदस्थ किया जाता है।

परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-३-१३/२०१९/३/ एक, दिनांक १२ दिसम्बर २०१९ के एवं वित्त विभाग की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक २२ फरवरी २०२० अधीन भूत्य वेतनमान १५५००—४९००० के न्यूनतम का प्रथम वर्ष ७० प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में ८० प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में ९० प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगा।

उन्हें पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक २५/०४/२०२२ तक या उक्त तिथि के पूर्व तक पदभार ग्रहण करेंगी।

शर्तेः—

- १— वे भारत के संविधान के एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।
- २— म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम १९६५ के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे।
- ३— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम, १९६० के नियम १२ (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
- ४— एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।
- ५— मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-९/३/२००३/नियम/चार भोपाल दिनांक १३/४/२००५ के अनुसार दिनांक १/१/२००५ के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, २००५ लागू होगी।
- ६— उन्हें कार्यभार ग्रहण के करने के १५ दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- ७— कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- ८— आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ९— उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- १०— उनके द्वारा नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ११— पदस्थापना में ज्वाइनिंग करने के उपरान्त अभिस्वीकृति पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन एवं जिला मेडिकल बोर्ड, द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र की प्रति राज्य प्राधिकरण को उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- १२— नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश शासन एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम एवं समय—समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होंगे। इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशमुक्तुसार

३/८/२२
 (राजीव कर्महे)
 सदस्य सचिव

///2//

पृष्ठा 0क0फा.नं. 43-21 /स्था०/राविसेप्रा०/ १५७/2022 जबलपुर दिनांक ८/04/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर।
6. श्री शंकर लाल सौधिया पिता स्व. श्री परमेश कुमार सौधिया निवासी-महदेवा रोड धवारी गली न.-01 वार्ड नं.-31 तहसील- रघुराजनगर, जिला सतना म.प्र. म.प्र. की ओर पालनार्थ।
7. आई.टी. शाखा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
8. वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

३०४/२२
(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव